

आदेश व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 05/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
पंजाब नेशनल बैंक, पता- झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

श्री रतन लाल पुत्र श्री चूना राम
पता-चेतावानी ढाणी, ग्राम व पोस्ट हिगोनिया, तहसील फुलेरा, जयपुर, राज.।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :- श्री महेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.08.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रतन लाल पुत्र श्री चूना राम के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति फ्लैट नं. एस.एफ. 09, ब्लॉक नं. बी-1 स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, जो सिद्धि विनायक अफोर्डेबल होम्स, ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 325 वर्गफिट को बन्धक रख कर 3,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.08.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्राणी बैंक के सुशोभ्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली को अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राणी वित्तीय बैंक ने अप्राधीगणों को 3,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राधीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्राणी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्राधीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 3,21,993.76 रुपये जमा कराने हेतु अप्राधीगण को दिनांक 05.08.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्राधीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राधीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर दया गया है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राणी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्राधी श्री रतन लाल पुत्र श्री रूनाराम के स्वामित्व की आवासीय बन्धक सम्पत्ति फ्लैट नं. एस.एफ. 09, ब्लॉक नं. बी-1 स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, जो सिद्धि विनायक अफोर्डेबल होम्स, ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 325 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्राणी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर मागीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राणी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना निर्धारित मिलवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कृपया धीकर वायिल दफतर हो।
- आदेश आज दिनांक 24.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



P. N. Mishra
 (राजन मिश्रा)
 जिला नॉजिस्ट्रेट
 (कलेक्टर) जयपुर